तारीख हुक्म	न्यायालयः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, के.पाटन बून्दी अजय मीणा वगैरह बनाम हरिओम वगैरह दीवानी दावा संख्या–03/2024	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांकित 07.08.2025 का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क दिये गये कि प्रतिवादी संख्या–3 प्रभुलाल द्वारा दौराने दावा, विवादित पैतृक कृषि भूमि अपने नाम होने का फायदा उठाकर हस्तांतरित कर दी है जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के बिन्दु ए,बी,सी,डी,ई में अंकित है। उक्त सम्पत्तियां प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा दानपत्र के जरिये हस्तांतरित कर दी हैं और चूंकि उक्त हस्तांतरण प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब दावे के पश्चात् का है, इस कारण से जवाब दावे से पूर्व उक्त तथ्य प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अपने जवाब दावे में अंकित करना चाहते हैं और ऐसे संशोधन की उन्हें अनुमति दी जावे। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया गया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध मूल रूप से वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या–1, 2 व 3 की पैतृक सम्पत्तियों के बंटवारे हेतु दावा पेश किया है और हस्तगत प्रकरण के माध्यम से प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 यह दर्शाते हैं कि दावे के विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा विवादित सम्पत्तियों का हस्तांतरण जरिये दानपत्र कर दिया है और इस संबंध में संबंधित दानपत्रों की फोटो प्रति भी प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पेश तथ्यों की पुष्टि होती है और चूंकि उनके द्वारा जवाब दावा पेश करने के पश्चात् वाद की विषयवस्तु की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है तथा प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कम में संख्या बी में जो भूमि बताई गई है वह वादपत्र की विवादित विषयवस्तु होना वादपत्र के अभिवचनों से प्रकट नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का पेश प्रार्थना पत्र मात्र कम संख्या ए,सी,डी,ई की हद तक जवाब दावे में संशोधन करने हेतु स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को संशोधित जवाब दावा पेश किए जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित जवाब दावा दिनांक 19/11/25 को पेश हो। 15/11/25 **(डॉ. ऋचा चायल)** **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश** वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश केशवरायपाटन, जिला बून्दी (राज०)	